रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--26 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—26

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30052026-272949
CG-DL-W-30052026-272949

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2026 (ज्येष्ठ 9, 1948)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2026 (JYAISTHA 9, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	315
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	525
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	711
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1619
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	4047
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	315
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	525
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	711
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1619
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4047
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 12 मई 2026

सं. 10-5/2025-यू.3(ए)—जबकि, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जयपुर द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा में ऑफ-कैंपस शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 02.01.2025 के अपने पत्र संख्या 38-2/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की स्थायी समिति के माध्यम से जांच की गई थी। समिति ने संस्था की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), जयपुर को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और आगे जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकूला, हरियाणा में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जयपुर को दिनांक 22.04.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और जबकि, कुलसचिव (कार्यवाहक), राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जयपुर ने दिनांक 07.10.2025 के पत्र संख्या एफ.1(24)/एनआईए-पीके/आरईजी/एनआईए/2023-3890 के माध्यम से, एलओआई की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था। इसके जवाब में, यूजीसी ने दिनांक 21.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), जयपुर को माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

6. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), जयपुर द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का पालन करेगा।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 12th May 2026

No. 10-5/2025-U.3(A)—Whereas, an online application was submitted by National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur, on the UGC Portal for starting an off-campus at Mata Mansa Devi Complex, Panchkula, Haryana as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 38-2/2024 (CPP-I/DU) dated 02.01.2025, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur with certain conditions.

3. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 22.04.2025 to National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Mata Mansa Devi Complex, Panchkula, Haryana.

4. And whereas, Registrar (i/c), National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur, vide letter No. F.1(24)/NIA-PK/Reg/NIA/2023-3890 dated 07.10.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter dated 21.04.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur to start an off-campus Centre at Mata Mansa Devi Complex, Panchkula, Haryana.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

GORAKH A NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.05.30 09:47:56 +05'30'